1. रेफरेन्स / एल.आर. /1884/ 2005/भरतपुर
सरकार बनाम तारा
2. रेफरेन्स / एल.आर. /4802/ 2005/भरतपुर
सरकार बनाम तारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27-02-26	**एकलपीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री शिव प्रकाश चौधरी, उप राजकीय अभिभाषक। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित। — **आदेश** 1 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स अति. जिला कलेक्टर, भरतपुर ने अपने निर्णय व अभिशंषा दिनांक 12–06–1995 के द्वारा राजस्व मण्डल को प्रेषित किया गया था जिसे मण्डल की एकलपीठ द्वारा दिनांक 23.12.1996 से स्वीकार कर लिया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थीगण द्वारा एक रिट याचिका 3498/1997 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त याचिका में आदेश दिनांक 06.04.2005 पारित करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ मण्डल को प्रतिप्रेषित किया गया है कि उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त प्रतिप्रेषित आदेशों की पालना में हस्तगत रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। उपरोक्त उनवानी दोनों रेफरेंस एक ही आदेश के विरूद्ध होने व पक्षकार समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति दोनों पत्रावलियों के साथ संलग्न की जावे। 2 रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, रूपवास ने एक रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम वारहमापी तहसील रूपवास स्थित जमाबंदी संवत् 1985 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 807/268, 337, 1020/607, 923/368, 1017/605,607, 894/344, 347, 366, 895/344, 898/344 कुल किता 7 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि मंदिर मूर्ति लक्ष्मण जी महाराज बैंकेटेश्वर भरतपुर के नाम दर्ज होकर पुजारी श्री गंगादास जी चैला श्री नारायण दास कौम बैरागी साकिन भरतपुर के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जमाबंदी संवत् 2049 से 2052 के अनुसार नवीन बंदोबस्त के दौरान उक्त आराजी भू–भाग अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार माफी मंदिर की भूमि का नियमों विपरीत हस्तांतरण हुआ है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मन्दिर माफी की भूमि को निजी व्यक्तियों के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया जाना अवैध है। उक्त प्रविष्टियों को विलोपित कर वादग्रस्त भूमि को वापिस माफी मंदिर के नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार, रूपवास द्वारा रेफेरेंस प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर द्वारा उक्त रेफरेंस प्रकरण स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि को माफी मंदिर के नाम खातेदारी में दर्ज करने हेतु यह रेफरेंस राजस्व मंडल में प्रेषित किया है। 3 विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का अभिकथन है कि विवादित भूमि मंदिर मूर्ति लक्ष्मण जी महाराज वैंकटेश्वर के नाम दर्ज होकर पुजारी गंगादास चेला नारायणदास वैरागी के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी। चूंकि मन्दिर शाश्वत नाबालिग है, और माफी मन्दिर विराजमान शाश्वत नाबालिग की खातेदारी भूमि होने के कारण उसका अन्तरण किसी भी व्यक्ति को नहीं किया जा सकता और ना ही उक्त भूमि में किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते हैं। बिना किसी सक्षम आदेश के विवादित भूमि मंदिर मुर्ति के स्थान पर विधि विरूद्ध अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी गई है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। नामान्तरकरण संख्या 106 के द्वारा अप्रार्थीगण को खातेदार अंकन करने की कार्यवाही पूर्णतया क्षेत्राधिकार विहिन और विधि विरूद्ध है। क्षेत्राधिकार विहिन आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है और मियाद का बिन्दु लागू नहीं होता है। अतः जमाबन्दी में अप्रार्थीगण के नाम अंकित प्रविष्टियां निरस्त किये जाने योग्य है एवं विवादित आराजी की खातेदारी पुनः मंदिर मूर्ति श्री लक्ष्मण जी महाराज के नाम पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है। 4 विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया और पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। 5 प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांक 06.04. 2009 से प्रकरण 36 वर्ष विलम्ब के पश्चात प्रस्तुत करने के आधार पर मण्डल को प्रतिप्रेषित किया है। मियाद के संबंध में न्यायिक दृष्टांत गोविन्दसिंह बनाम रामविलास डीएनजे (आरजे) 2014 राजस्थान उच्च न्यायालय जिसमें प्रतिपादित किया गया है कि विलम्ब के मामलों में न्यायालय का दृष्टिकोण समग्र रूप से न्याय का उद्देश्य हासिल करने का होना चाहिए। विलम्ब शमन निम्न में से एक या एक से अधिक कारणों पर आधारित होना चाहिए। 1– अपील गुणावगुण पर निर्णय योग्य एवं किसी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्षकार को सारगर्भित राहत देने योग्य हो। 2– दिन प्रतिदिन के विलम्ब का स्पष्टीकरण हो तथा समुचित कारण हो। अपीलांट की लापरवाही तथा कानून के प्रति उपेक्षा का भाव न हो। 3– जहॉ सारभूत न्याय तथा तकनीकी आधार में टकराहट हो,सारभूत न्याय को प्राथमिकता देनी चाहिए। 4– किसी पक्षकार के साथ हुए अन्याय का निराकरण होना संभावित हो। 5– कोई पक्षकार न्यायिक प्रक्रिया से किसी अन्य पक्षकार को उलझाये रखने का मकसद न रखते हो। मियाद कानून लोकनीति का पूरक है। इसका उद्वेश्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन करना नहीं होना चाहिए। न्याय प्राप्ति हेतु अंतिम प्रयास तक कानूनी उपचार जीवित रहने चाहिए। इस प्रकरण में चूंकि यह तथ्य निर्विवाद है कि आराजी जैर का अप्रार्थीगण के नाम अंतरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अनुसरण में नहीं किया गया है तथा ऐसे क्षेत्राधिकार विहिन व अविधिक आदेश पर मियाद अधिनियम लागू होने के संबंध में न्यायिक दृष्टांत आरबीजे 1998 पेज 514–515 में अभिलिखित किया गया है कि:–Limitation Act, 1963 Section 5 - Dismissal of appeal without going into merits of the case, is not proper. The Court of law required to put a glance as a condition precedent merits of appeal and unless they are found to be hoplessly devoide of merits, Oridinarily efforts should made to decide the appeal on merits. अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में क्षेत्राधिकार विहिन व अविधिक आदेश / कार्यवाही को मियाद बिन्दु के बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित व न्यायसंगत है। 6 पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि ग्राम वारहमापी तहसील रूपवास स्थित जमाबंदी संवत् 1985 के अनुसार आराजी खसरा नंबर 807 / 268, 337, 1020 / 607, 923 / 368, 1017 / 605,607, 894 / 344, 347, 366, 895 / 344, 898 / 344 कुल किता 7 रकबा 11 बीघा 12 बिस्वा भूमि मंदिर मूर्ति लक्ष्मण जी महाराज बैंकेटेश्वर भरतपुर के नाम दर्ज होकर पुजारी श्री गंगादास जी चैला श्री नारायण दास कौम बैरागी साकिन भरतपुर के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जमाबंदी संवत् 2049 से 2052 के अनुसार नवीन बंदोबस्त के दौरान उक्त आराजी भू–भाग अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दिया गया। जहां तक अप्रार्थीगण के रिकॉर्डेड खातेदार होने का प्रश्न है यह सही है कि संवत 2049 लगायत 2051 के बाद में तारा अर्जुन हरकिशन इत्यादि विवादग्रस्त भूखण्ड पर रेकार्डेड खातेदार है परंतु यह	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	लोग खातेदार की स्थिति में नामान्तरकरण संख्या 500 दिनांक 5.04.95 के माध्यम से गिर्राज के स्थान पर आये और गिर्राज स्वयं नामान्तरकरण संख्या 106 गैर खातेदार की हैसियत से खातेदार की स्थिति में आया है। नामान्तरकरण संख्या 106 दिनांक 25.12.1960 का है और यह नामान्तरकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के बाद का है। एक जमाबंदी की प्रति संवत 2016 की भी रेफरेंस के साथ लगाई गई है जिसमें गिर्राज को गैर खातेदार लिखा गया है परंतु यह भी नोट लिखा गया है कि खेवट संख्या 2 कोलम संख्या 4 में मंदिर श्री लक्ष्मण जी महाराज है। ''स्पष्ट है कि अगर उसकी खातेदारी का अंकन था भी तो भी भूमि मंदिर की ही थी। यह अंकन संवत 2016 का है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 से प्रभावी हो गया था और तब भी भूमि मंदिर के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित थी। इस पर किसी अन्य को खातेदारी के अधिकार नहीं दिये जा सकते है। नामान्तरकरण संख्या 106 यदि ध्यान से देखा जाए तो उसमें एक तथ्य और भी लिखा है कि धारा 15 के अनुसार रेकॉर्ड में काबिज होने पर उन्हें दिनांक 25.12.60 से खातेदार दर्ज किया जाता है।'' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत इस प्रकार का अंकन किसी प्रकार का अधिकार देने के संबंध में भी शक्तियां तहसीलदार अथवा उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी को नहीं थी। धारा 15 के अंतर्गत भी अधिकार लेने के लिए सहायक कलक्टर के समक्ष जाकर के आदेश प्राप्त करना चाहिए था। और उस आदेश के अनुरू‍प ही कोई नामानतरकरण दर्ज हो सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि 106 नम्बर का यह नामानतरकरण राजस्व विभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों और गिर्राज के मध्य आपसी स्तर पर बिना कानूनी व्यवस्था को देते हुए किन्ही अन्य कारणों से किया गया है जब राजस्व रेकार्ड में सवंत 2016 में भी श्री लक्ष्मण जी महाराज के मंदिर के नाम विवादग्रस्त आराजी थी तो उसके संबंध में किसी प्रकार के अन्य अधिकार किसी अन्य को देने के लिए शक्तियां किसी में नहीं थी। इस प्रकार मंदिर मूर्ति लक्ष्मण जी महाराज की भूमि का नियमों के विपरीत अंतरण हुआ है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा कालांतर में जमाबंदी एंव राजस्व रिकोर्ड में बिना किसी सक्षम व विधिक आदेश के मंदिर मूर्ति की भूमि की खातेदारी समाप्त कर निजी खातेदारी में दर्ज कर दी जो पूर्णतया गलत व विधि विरूद्ध है। 7 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं 46 के अन्तर्गत मन्दिर मूर्ति की भूमियां सार्वजनिक प्रयोजनार्थ धारित की जाती है एवं मन्दिर मूर्ति विधिक व्यक्ति होता है जिसे सम्पत्ति धारण करने का अधिकार होता है एवं उसकी कृषि भूमि में कोई निजी व्यक्ति खातेदारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता है। राजस्व विधि में मन्दिर मूर्ति को शाश्वत अव्यस्क माना जाकर उसके स्वत्व व खातेदारी अधिकार की भूमि का किसी भी प्रयोजनार्थ हस्तान्तरण वर्जित है। इस प्रकार मन्दिर मूर्ति की भूमि का अप्रार्थीगण के नाम अन्तरण, नामांकन तथा राजस्व अभिलेख में अंकन पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है। मन्दिर एक शाश्वत नाबालिग है और juristic person है। मन्दिर की भूमि चाहे किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त क्यों न की जा रही हो, चाहे सबायत, पुजारी, एजेंट या मजदूर को मजदूरी देकर काश्त करायी गयी हो, वह मन्दिर की खुदकाश्त मानी जावेगी व उसके खातेदारी अधिकार मन्दिर के अलावा किसी भी व्यक्ति में निहित नहीं होंगे। अतः विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थीगण के नाम विधिक प्रावधानों के विपरीत दर्ज होने से निरस्तनीय है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर ने रिकोर्ड का पूर्ण परीक्षण कर विधि संगत निष्कर्ष पर पहुंचकर निर्णय पारित किया है। अतः रेफरेंस स्वीकार किये जाने योग्य है। 8 निष्कर्षतः हस्तगत् रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम वारहमापी तहसील रूपवास के नामांतरकरण संख्या 106 तथा इसके पश्चातवर्ती अन्य नामान्तरकरण एवं राजस्व रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियां निरस्त की जाती है तथा विवादित आराजी का जमाबंदी संवत् 2016 के अंकन के अनुसार पुनः ''मंदिर श्री लक्ष्मण जी महाराज'' के नाम का अंकन जमाबंदी में किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय को रिकॉर्ड निर्णय प्रति सहित शीघ्र लौटाया जावे। निर्णय सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	